फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ...सिवाना ....

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गंगासिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 136 RLR Act. मु0नं0....166 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2022	प्रार्थी गंगासिह की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री किशोरीलाल सोनी द्वारा विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136 RLR Act. का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी को नोटिस जारी होकर पत्रावली 09.01.2023 को पेश हो। (दिनेश विश्नोई) उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना	
9/01/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी की तथ्यात्मक रिपोर्ट पूर्व में पेश हो चुकी है। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 367 रकबा 14.9005 हैक्टेयर ग्राम परिहारों की ढाणी तहसील सिवाना में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की शेष प्रविष्टियां सही है, किन्तु भूलवश प्रार्थी की सकूनत ग्राम कांखी के स्थान पर पादरू अंकित हो गयी, जिससे प्रार्थी को सहकारी संस्थाओं एवं बैंक से ऋण अनुसार आदि सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में अड़चने आ रही है। अतः विवादित भूमि के रिकार्ड में प्रार्थी की सकूनत पादरू के स्थान पर ग्राम कांखी दुरूस्त की जावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार, सिवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की वास्तविक सकूनत ग्राम कांखी है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूलवश ग्राम पादरू दर्ज हो गई। उक्त प्रस्तावित दुरूस्ती से किसी के भी हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम परिहारों की ढाणी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 367 रकबा 14.9005 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड की शेष प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी [illegible] स्थान पर 'ग्राम कांखी' दर्ज करने के आदेश दिये [illegible] तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरु[illegible] किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुभार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:46:25 IST
Reason: SelfAttested